

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ।
पत्रांक 458 /14-1 आगरा, दिनांक, 27 जुलाई, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ ।

विषय :- जनपद-मैनपुरी में शिकोहाबाद-भोगाँव मार्ग (एस०एच०-84) किमी० चैनैज 21.000 से 43.800 एवं धिरोर बाईपास लम्बाई 6.56 किमी० कुल 25.06 से किमी० लम्बाई में 4 लेन मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 24.92755 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4645 बाधक वृक्षों एवं पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके कार्यालय का पत्रांक 119/मैनपुरी/25364/2017 दिनांक 13.07.2018 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी का पत्रांक 179/14-1 दिनांक 20.07.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) क्षेत्र, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू०पी०/०६/२६/२०१८/एफ०सी०/२६० दिनांक 10.07.2018 की वॉछित सूचना प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी के सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, प्राप्त सूचना के आधार पर बिन्दुवार सूचनायें अभिलेखों सहित निर्धारित प्रपत्र में निम्नानुसार प्रेषित है :-

S.No.	Comments	Reply
1.	The diversion of Total 24.92755 hectare forest land shall contain all such areas diverted earlier in favour of retail outlet/petrol pumps under FC Act by MoEF&CC and State Govt.	बिन्दु संख्या-1 की आख्या संलग्न है (संलग्नक-1)
2.	The user Agency shall provide access to all above ortlets/petrol pumps located along the road.	बिन्दु संख्या-2 की आख्या संलग्न है (संलग्नक-2)
3.	The Site specific scheme of compensatory afforestation shall be resubmitted before issuance of Stage-1 approval.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में किशानी वन ब्लाक एवं समान वन ब्लाक में स्थल का चिन्हीकरण कर संशोधित अभिलेख संलग्न कर प्रस्तुत है। (संलग्नक-3)

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी से प्राप्त संलग्नक 03 प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित हैं कि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(जावेद अख्तर)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक / समदिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जावेद अख्तर)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।